


राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/2013/1351

दिनांक:- 7/11/13


संशोधित कार्यालय आदेश

आवासन मण्डल की भिवाड़ी योजना में निर्मित आवासों/फ्लेटों की खुली बिक्री योजना से निस्तारण किये जाने की स्वीकृति कार्यालय आदेश क्रमांक 910 दिनांक 11.09.2013 एतद् द्वारा प्रदान की गई थी। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए बिन्दु संख्या 01 में 4-JF/333 के स्थान पर 4-JF/33 एवं बिन्दु संख्या 05 (सेक्टर 04 व 07) में स्थान पर शहरी निर्धन आय वर्ग (जी+3) के स्थान पर (जी+2) पढा जावें।


(डा० आर.वेंकटेश्वरन)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता(मु०), प्रथम /द्वितीय/निदेशक(विधि)/मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (मु०)/प्रथम/द्वितीय,/पी.एण्ड.एम/अति० मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त वृत्त.....राजस्थान आवासन मण्डल,।
6. आवासीय अभियन्ता खण्ड..... राजस्थान आवासन मण्डल.....।
7. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
8. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, राज० आ० मण्डल, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक